न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)

आर०एम० वाद सं०–159/2022–23
छोटानगपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(1)a
लोहरा पातर बनाम दिलीप मुण्डा

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
09/9/23		

विक्रेता का नाम एवं पता :– लोहरा पातर पिता–स्व० सुदन पातर, ग्राम–कटेयाडीह, पो०– राहे, थाना–सोनाहातु, राहे ओ०पी०, जिला–राँची, जाति– पातर, पेशा–खेती।

क्रेता का नाम एवं पता :– दिलीप मुण्डा पिता–स्व० गोविन्द मुण्डा, ग्राम–कटेयाडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, राहे ओ०पी०, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम :– मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–03/02/2023 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)b के तहत क्रेता–दिलीप मुण्डा पिता–स्व० गोविन्द मुण्डा, ग्राम–कटेयाडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, राहे ओ०पी०, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

बिक्री हेतु भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी			
					उ०	द०	पू०	प०
होटलो	सोनाहातु/95	76	390	44	क्रेता नीज	क्रेता नीज	क्रेता नीज	विक्रेता नीज

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधरण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक–218(ii) दिनांक– 27/07/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत हैः–

1. प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत बुधन पातर वो शुधन पातर वो धनु पातर पे०–कमलु पातर(कौम–महली) दर्ज है।
2. खतियान रैयत/पंजी–II रैयत विक्रेता के पिता–पुत्र है।
3. पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम लोहरा पातर पिता–सुदन पातर के नाम दर्ज है। तथा रैयत के पास रकबा–4.57 एकड़ भूमि है।
4. प्रस्तावित भूमि का मालगुजारी वर्ष–2022–23 तक वसूली गई है।
5. जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पुत्र का है। तथा खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।
6. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित भूमि काएमी है।
7. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् विक्रेता 4.13 एकड़ भूमि शेष रह जायेगा।

8. विक्रेता प्रस्तावित भूमि को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
9. क्रेता एवं विक्रेता दोनों आदिवासी समुदाय के है, जिसमें विक्रेता–महली जाति एवं क्रेता–मुण्डा जाति के है।
10. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही थाना क्षेत्र (सोनाहातु) के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवदेन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)a के तहत विक्रेता लोहरा पातर पिता–स्व० सुदन पातर, ग्राम–नवागाँव कटेयाडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, राहे ओ०पी०, जिला–राँची, जाति–पातर, (कौम–महली) पेशा–खेती को क्रेता दिलीप मुण्डा पिता–स्व० गोविन्द मुण्डा, ग्राम– कटेयाडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, राहे ओ०पी०, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने हेतु अनुमति देने की अनुशंसा किया गया है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–03/02/2023 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेला लोहरा पातर पिता–स्व० सुदन पातर, ग्राम–नवागाँव कटेयाडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, राहे ओ०पी०, जिला–राँची, जाति–पातर, (कौम–महली) पेशा–खेती को क्रेता दिलीप मुण्डा पिता–स्व० गोविन्द मुण्डा, ग्राम–कटेयाडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, राहे ओ०पी०, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)a के तहत दी जाती है। अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

बिक्री हेतु भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी			
					उ०	द०	पू०	प०
होटलो	सोनाहातु/95	76	390	44	क्रेता नीज	क्रेता नीज	क्रेता नीज	विक्रेता नीज

लेखपित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

Digitally signed by SANDEEP ANURAG TOPNO
Date: 2024.01.08 13:56:54 +05:30
Location: 10.93.79.9